सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

गिरधारी बनाम महेश

मुकदमा 53 मु. नं. 119/2012 वर्ष

	आज्ञा - पत्र	
22/5/24	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/6/24 को पेश हों।	
7/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस पर ~~मनन~~ सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के द्वारा वाद के सम्बन्ध में ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। इसलिए न्यायालय वाद को खारिज किया जाना उचित समझता है। अत: वाद वादीगण ठोस साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। निर्णय व डिक्री अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से नम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर यह फैसला आज दिनांक 7/6/24 को मैंने खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर	

दावा इस्तकरार हक, हुक्म, इम्तनाई दावा में व इन्द्राज दुरूस्ती

:निर्णयः दिनांकः– 7/6/2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से कि वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मुख्य अनुतोष प्राप्त के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया जो कि राजस्व ग्राम फागलवा तहसील सीकर जिला सीकर की तन में भूमि के खसरा नं 557 रकबा 3.5700 है0, अवस्थित है। जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के खाते कब्जे व काश्त की है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी गण संख्या 2 ता 7 ही काबिज काश्त है। वर्णित आराजिया तमे वादीगण का 3/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 का 1/4 हिस्सा है इसी मुताबिक वादगण एवं प्रतिवादी गण संख्या 2 लगायत 7 अपने अपने हिस्सो पर काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है। वर्णित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हिस्सा नही है न ही कोई कब्जा काश्त है लेकिन सहवन से 1/4 हिस्सा पहले स्व. दानाराम के नाम से गलत दर्ज हो गया तथा उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 फर्जी दत्तक पुत्र बनकर उक्त 1/4 हिस्से की खातेदारी गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त 1/4 हिस्से के वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पूर्व से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है।

वाद पेश होने के पश्चात् दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विधिवत तामील करवायी गई बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 8 के खिलाफ आदेशिका दिनांक 18.12.2019, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के खिलाफ आदिशिका दिनांक 11.11.2021 तथा प्रतिवादी संख्या 9 के खिलाफ आदिशिका दिनांक 05.04.2023 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बदामी पुत्री दानाराम मीणा पत्नि मोहन, संतोष पुत्री दानाराम मीणा पत्नि प्रभू मीणा, बोदी देवी पुत्री दानाराम मीणा पत्नि जगदीश, कमला पुत्री दानाराम पत्नि मूलचन्द मीणा, छोटी देवी पुत्री दानाराम मीणा पत्नि कानाराम मीणा तथा वादीगण संख्या 1 भंवर सिंह पुत्र स्व. गिरधारी जाति जाट साक्ष्यवादी हेतु शपथ पत्र पेश किया।

वकील वादी की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण का अपने वाद में मुख्य कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने फर्जी दत्तक पुत्र बनकर 1/4 हिस्से की खातेदारी अपने नाम करवाली है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त में उक्त भूमि कभी नही रही है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के में प्रतिवादी सं0 1 बतौर खातेदार अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2014–2018 में दाना पुत्र नानगा मीणा का बतौर काश्तकार नाम अंकित है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वाद में चाहे गये अनुतोष के संबंध में पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजात उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी खसरा नं0 557 वाके ग्राम फागलवा तहसील धोद महेश दत्तक पुत्र दानाराम के 1/4 हिस्से पर वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहे हो। वादीगण द्वारा वाद में दानाराम से महेश को गलत गोदनामा से उक्त भूमि प्राप्त होना बताया है। लेकिन वादीगण के द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है। अतः वाद वादीगण ठोस साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

यह फैसला आदिनांक 7/6/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर